

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153, दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 247]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 1 अप्रैल 2010—चैत्र 11, शक 1932

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 1 अप्रैल 2010

क्र. एफ-ए 3-2-2010-1-पांच (46).—मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) अधिनियम, 2010 (क्रमांक 10 सन् 2010) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, 1 अप्रैल 2010 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको कि उक्त अधिनियम प्रवृत्त होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 1 अप्रैल 2010

क्र. एफ-ए 3-2-2010-1-पांच (46).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए-3-2-2010-1-पांच (46), दिनांक 1 अप्रैल 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

Bhopal, the 1st April 2010

No. F-A-3-2-2010-1-V(46).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 1 of the Madhya Pradesh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar (Sanshodhan) Adhinyam, 2010 (No. 10 of 2010), the State Government, hereby, appoints the 1st April 2010 as the date on which the said Act shall come into force.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. YADAV, Addl. Secy.